आज़ादी का अमृत महोत्सव

भीम BHIM

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.17(18)नविवि/नियम/2021 जयपुर, दिनांक 28 APR 2022

अधिसूचना

"सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना (SSIP) 2021 के तहत कार्य करने वाली पात्र अलाभकारी संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले कार्य एवं उनकी विशिष्ट प्रकृति के मध्यनजर विभागीय अधिसूचना क्रमांक प.17(9)नविवि/नियम/2019 दिनांक 22.07.2019 एवं विभागीय अधिसूचना क्रमांक प.17(18)नविवि/नियम/2021 दिनांक 09.12.2021 द्वारा प्रीमियम दरों, बाह्य विकास शुल्क, बी.एस.यू.पी. शुल्क, भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क व भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क में शत प्रतिशत छूट प्रदान की गयी है।

विभागीय आदेश क्रमांक प.17(18)नविवि/नियम/2021 दिनांक 01.12.2021 द्वारा पालिका क्षेत्र में 2000 व.मी. परिषद क्षेत्र में 1500 व.मी. एवं निगम क्षेत्र में 1000 व.मी. भूमि स्थानीय स्तर पर निःशुल्क आवंटन की छूट प्रदान की गयी है।

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक F.2(7)F.D./Tax/2021-01 दिनांक 12.04.2022 के अनुसार उपरोक्त प्रदत्त छूटों के साथ ही नगरीय भूमि निष्पादन नियम, 1974 के नियम 14 के अन्तर्गत नीलामी से आवंटित भूमि, नियम 18 के तहत एवं विभिन्न उद्देश्यो हेतु भूमि आवंटन नीति- 2015 के अन्तर्गत आवंटित भूमि तथा अन्य माध्यम से आवंटित भूमि एवं राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियन, 2012 के अंतर्गत आवंटित भूमि पर लीज राशि में उक्त संस्थाओं को शत प्रतिशत छूट प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(कुंजी लाल मीना)
प्रमुख शासन सचिव
26/4

आज़ादी का अमृत महोत्सव

भीम BHIM

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
10. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
11. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
12. आयुक्त, उद्योग विभाग जयपुर।
13. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
14. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
15. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
16. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग जयपुर।
17. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
18. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
19. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
20. रक्षित पत्रावली।

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम